राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(5)न्याय/2012

जयपुर, दिनांक 25 JUN 2018

-:अधिसूचनाः-

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.12.2016 की क्रम संख्या 3 की कॉलम संख्या 3 में आंशिक संशोधन करते हुए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स एक्ट, 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को उक्त अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु अपने अपीलीय क्षेत्राधिकारिता में विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर निम्नानुसार क्षेत्राधिकार निर्धारित करती हैः-

क.सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
3	विशिष्ठ न्यायालय, अनु.जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बाडमेर	बाडमेर जिला (जिला न्यायालय, बालोतरा की क्षेत्रीय सीमा को छोडकर)
3a	जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा	जिला न्यायालय, बालोतरा की क्षेत्रीय सीमा

राज्यपाल के आदेश से,
25/6/18

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांकः सामान्य/II/9/2008/ 810 दिनांकः 29./06/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर, (रजिस्ट्रार सीपीसी, रा.उ.न्या. जयपुर को वास्ते अपलोड करने उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर)
2. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश
3. संबंधित न्यायालय
4. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
5. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय/ रा.न्या.से.(स्था.शाखा)/अधीनस्थ न्यायालय(स्था.शाखा)/ बजट/ भवन/ सांख्यिकी, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

29.6.18
रजिस्ट्रार (नियम)